राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)
सेवानिवृत्ति/अक्षमता के कारण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास

क्लेम आइडी:/Claim ID ______ अभिस्वीकृति क्र. (Ack No) ______

हाल की 3.5 cm × 2.5 cm आकार/पासपोर्ट साइज़ रंगीन तसवीर लगायें

सेवा में,
एनपीएस ट्रस्ट
महोदय/महोदया,

मैं.. पीएफआरडीए (PFRDA) (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के संबद्ध प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार एनपीएस टीयर–I खाते में जमा पेंशन के भुगतान के लिये आवेदन करता/करती हूं।

टीयर–II:– टीयर–II खाते में जमा हुई पूरी पेंशन की राशि का भुगतान टीयर–I खाते के एकमुश्त (Lump sum) आहरण के साथ किया जायेगा।

मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आवश्यक विवरण देता/देती हूं:

*महिला होने पर दायें और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

*अभिदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनु. क्र.	विवरण	टिप्पणी
खंड अ – अभिदाता का विवरण		
	अभिदाता सेक्टर *	1. गवर्नमेंट सेक्टर (Govt. Sector) ☐ 2. ऑल सिटिज़न्स ऑफ़ इंडिया/कॉर्पोरेट (All Citizens of India/corporate) ☐ 3. एनपीएस लाइट/जीडीएस (NPS Lite / GDS) ☐
1.	संगठन (Organisation) का नाम पीएओ/डीटीओ/सीएचओ/एनएलएओ (PAO/DTO/CHO/NLAO का नाम)	
2.	पीआरएएन* (PRAN)	
3.	पूरा नाम* (Full Name)	First Middle Last
4.	अभिदाता का लिंग*	पुरुष ☐ स्त्री ☐
5.	पिता का नाम*	First Middle Last
6.	वैवाहिक स्थिति*	विवाहित ☐ अविवाहित/अन्य ☐
7.	विवाह–पूर्वी नाम (विवाहित महिला अभिदाता होने पर)	First Middle Last
8.	अभिदाता के पति/पत्नी का नाम (अभिदाता के विवाहित होने और पति/पत्नी जीवित होने पर ही)	First Middle Last
9.	पति/पत्नी का लिंग (अभिदाता के विवाहित होने और पति/पत्नी जीवित होने पर ही)	पुरुष ☐ स्त्री ☐
10.	सेवानिवृत्ति /60/65 वर्ष की आयु पूरी करने/पद छोड़ने की तिथि (अक्षमता की स्थिति में)*	DD / MM / YYYY
11.	अभिदाता की जन्मतिथि (पीआरएएन (PRAN) कार्ड के अनुसार)*	DD / MM / YYYY
12.	आधार (Aadhar)/वीआइडी (VID)	
13.	पैन (PAN)*	
14.	सीकेवाइसी नंबर (CKYC Number)	
15.	क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पीईपी) (Politically Exposed Person (PEP) हैं?*	हाँ ☐ नहीं ☐
16.	क्या आपका किसी पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पीईपी) से संबंध है?*	हाँ ☐ नहीं ☐
17.	क्या आप भारत या विदेश में किसी आपराधिक प्रक्रिया में अभियुक्त रहे हैं?*	हाँ ☐ नहीं ☐
	अगर हाँ, तो कृपया विवरण दें	
18.	संपर्क विवरण	मोबाइल नंबर*: +91 वैकल्पिक फोन नं: ईमेल आइडी*:
19.	पिन कोड के साथ अभिदाता का पूरा पता* (कृपया जमा किये जाने वाले दस्तावेज़ों के लिये निर्देश क्र. 9 देखें)	
खंड ब – अभिदाता के बैंक संबंधी विवरण – (कृपया निर्देश नं. 7 देखें)		
20.	बैंक खाता नंबर:*#	
21.	बैंक का नाम:*	
22.	बैंक शाखा का नाम और पता: मासिक पेंशन और एकमुश्त (Lump sum) राशि इस खाते में जमा की जायेगी, इसलिये सभी विवरण सावधानी से भरें। *	
23.	आइएफएससी कोड (IFSC Code) (कैंसल्ड चेक का एक पृष्ठ या बैंक पासबुक की प्रति (copy)/बैंक प्रमाणपत्र, जिसमें आइएफएससी कोड हो)*	

*द्वारा चिह्नांकित क्षेत्र अनिवार्य हैं। # सरकारी सेक्टर/कॉर्पोरेट सेक्टर अभिदाता के मामले में बैंक खाता नंबर वही होना चाहिए जहां आखरी वेतन जमा हुआ हो

खंड क – अभिदाता के आहरण संबंधी विवरण – (कृपया निर्देश क्र. 8 देखें)

सेवानिवृत्ति या 60/65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या अक्षमता के कारण सेवानिवृत्ति

अ) क्या आप पूरी राशि निकालना चाहेंगे (अगर 5 लाख या उससे कम/1 लाख (एनपीएस लाइट) हो) हाँ ☐ नहीं ☐

अथवा

ब) क्या आप सामान्य पद्धति से पैसे निकालना चाहते हैं (एकमुश्त (Lump sum) और वार्षिकी (Annuity) आहरण) हाँ ☐ नहीं ☐

अथवा

क) क्या आप स्थगित धनराशि निकालना चाहेंगे#: हाँ ☐ नहीं ☐

एकमुश्त आहरण ☐ वार्षिकी आहरण ☐

अथवा

ड) क्या आप चरणबद्ध आहरण चाहते हैं: हाँ ☐ नहीं ☐

आहरण की राशि डालें ______ कुल राशि निकालें ☐

*#कृपया धनराशि का प्रतिशत बतायें, जो आप एकमुश्त (Lump sum) आहरण और वार्षिकी (Annuity) ख़रीदने के लिये चुनना चाहेंगे:

एकमुश्त (Lump sum) आहरण के लिये चुनी गयी राशि (अधिकतम 60%)	वार्षिकी (Annuity) ख़रीदने के लिये चुनी गयी धनराशि का प्रतिशत (न्यूनतम 40%)	कुल (100%)

खंड ड – अभिदाता की वार्षिकी का विवरण (कृपया निर्देश क्र. 12 और 13 देखें) (संपूर्ण आहरण, स्थगित एकमुश्त राशि निकालने और चरणबद्ध आहरण की स्थिति में न भरे)

वार्षिकी के लिये सेवा प्रदाता चुनें (कृपया आपकी पसंद से नीचे दिये गये विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनें)

- ☐ बजाज आलियांज़ लाइफ इंश्योरंस कं. लि/Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ एडलवाइस टोकियो/Edelweiss Tokio
- ☐ आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस कं. लि./ ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरंस कं. लि./Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ मैक्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि./Max Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ एसबीआइ लाइफ इंश्योरंस कं. लि./SBI Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ टाटा एआइए लाइफ इंश्योरंस कं. लि./TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि./ Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरंस कं. लि./HDFC Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरंस कं. लि./India First Life Insurance Co. Ltd.
- ☐ लाइफ इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/Life Insurance Corporation of India
- ☐ पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरंस कं. लि. /PNB MetLife Insurance Co. Ltd.
- ☐ स्टार यूनियन दाइ-इची लाइफ इंश्योरंस कं. लि./Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

वार्षिकी योजना चुनें (कृपया अपनी पसंद से निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प चुनें)

- ☐ आजीवन वार्षिकी
- ☐ आजीवन वार्षिकी, मृत्यु के समय ख़रीद मूल्य की वापसी के साथ
- ☐ आजीवन वार्षिकी, वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय
- ☐ आजीवन वार्षिकी, वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय, ख़रीद मूल्य की वापसी के साथ
- ☐ एनपीएस–फैमिली इनकम ऑप्शन (निश्चित वार्षिकी)
- ☐ अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) ____________________

वार्षिकी बारंबारता (frequency) चुनें: कृपया अपनी पसंद से निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें। (सरकारी अभिदाता के लिए, वार्षिकी बारंबारता (frequency) केवल मासिक है)

☐ मासिक ☐ त्रैमासिक ☐ अर्धवार्षिक ☐ वार्षिक

दिनांक: DD / MM / YYYY

***अभिदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

*महिलाओं के दायें और पुरुषों के बायें अंगूठे के निशान लिये जा सकते हैं

खंड ई – अभिदाता के नामांकन संबंधी विवरण*

<table>
<tr><td rowspan="3">नामांकन के विवरण: नियमों के अनुसार योग्य राशि पर लागू। नियमों में दिये गये अपवर्जनों के अलावा सामान्यतः नामिति अभिदाता के परिवार का क़रीबी सदस्य (पत्ति/पत्नी, बच्चे इत्यादि) होना चाहिये।</td><td>नाम:
संबंध: प्रतिशत हिस्सा:
नामिति की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही): DD / MM /
अभिभावक (Guardian) का नाम (अवयस्क होने पर ही):
अभिभावक (Guardian) की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही)
पता और संपर्क विवरण:
अभिभावक (Guardian) के हस्ताक्षर (अवयस्क होने पर ही)</td></tr>
<tr><td>नाम:
संबंध: प्रतिशत हिस्सा:
नामिति की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही): DD / MM / YYYY
अभिभावक (Guardian) का नाम (अवयस्क होने पर ही):
अभिभावक (Guardian) की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर हीं)
पता और संपर्क विवरण:
अभिभावक (Guardian) के हस्ताक्षर (अवयस्क होने पर ही)</td></tr>
<tr><td>नाम:
संबंध: प्रतिशत हिस्सा:
नामिति की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही): DD / MM / YYYY
अभिभावक (Guardian) का नाम (अवयस्क होने पर ही):
अभिभावक (Guardian) की जन्मतिथि (अवयस्क होने पर ही)
पता और संपर्क विवरण:
अभिभावक (Guardian) के हस्ताक्षर (अवयस्क होने पर ही)</td></tr>
</table>

खंड फ – अभिदाता के परिवार के सदस्यों के विवरण (अभिदाता द्वारा संयुक्त जीवन पॉलिसी या एनपीएस – पारिवारिक आमदनी विकल्प चुने जाने की स्थिति में)

अभिदाता के चयन के अनुसार वार्षिकी देने के लिये परिवार के सदस्यों के विवरण।

अनु. क्र.	विवरण	पूरा नाम	आधार/वीआइडी	पैन$	जन्मतिथि
1.	पति/पत्नी $				DD / MM / YYYY
2.	आश्रित माता (यदि जीवित हों)				DD / MM / YYYY
3.	आश्रित पिता (यदि जीवित हों)				DD / MM / YYYY
4.	बच्चा 1 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY
5.	बच्चा 2 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY
6.	बच्चा 3 (यदि जीवित हो)				DD / MM / YYYY

ध्यान दें: बच्चों की संख्या 3 से अधिक होने पर, कृपया अतिरिक्त पृष्ठ में उल्लखित करे। .

*द्वारा चिह्नांकित क्षेत्र अनिवार्य हैं।

$अभिदाता द्वारा संयुक्त जीवन पॉलिसी या एनपीएस – पारिवारिक आमदनी विकल्प चुने जाने की स्थिति में अनिवार्य

अभिदाता का घोषणापत्र

मैं घोषित और स्पष्ट करता/करती हूं कि फॉर्म में मेरे द्वारा दिये गये सभी निजी विवरण मेरी जानकारी में सच्चे और सही हैं। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि मेरे द्वारा बैंक खाते समेत कोई भी जानकारी ग़लत दिये जाने की स्थिति में होने वाले किसी भी तरह के नुकसान या देरी के लिये एनपीएस ट्रस्ट/सीआरए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। साथ ही, मैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएसटी)/सीआरए को मेरे आहरण आवेदन से जुड़ी जानकारी वार्षिकी के सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने की भी अनुमति देता/देती हूं, ताकि लागू मामलों में वार्षिकी ख़रीदना संभव हो सके, जो एनपीएस के अंतर्गत आवश्यक है।

दिनांक: DD / MM / YYYY

***अभिदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

*महिला होने पर दायें अंगूठे और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

प्रस्तावक का घोषणापत्र: (संपूर्ण आहरण, स्थगित एकमुश्त राशि निकालने और चरणबद्ध आहरण की स्थिति में न भरे)

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आगे दिये गये कथन और जानकारियाँ मेरे द्वारा सवालों और वार्षिकी के विकल्पों को पूरी तरह समझने के बाद दी गयी हैं और ये सभी प्रकार से सच्ची, सही और सटीक हैं और मैंने सच को छुपाने के लिये किसी भी जानकारी को दबाया या रोका नहीं है। मैं मानता/मानती और स्वीकार करता/करती हूं कि इस प्रस्ताव में वॉरंटियों का समावेश है। मैं मानता/मानती हूं और घोषित करता/करती हूं कि इस घोषणापत्र के कथन मेरे और वार्षिकी सेवा प्रदाता (कंपनी) के बीच अनुबंध का आधार होंगे और अगर मेरी ओर से किसी ग़लतबयानी या महत्वपूर्ण सत्य छुपाये जाने या किसी झूठ अथवा मेरी ओर से किसी धोखाधड़ी का कंपनी को भविष्य में किसी समय पता चलता है, तो कथित अनुबंध पर बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के प्रावधनों के अनुसार और समय-समय पर किये गये संशोधनों या अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

मैं यह भी समझता/समझती और स्वीकार करता/करती हूं कि कंपनी केंद्र और/या राज्य सरकार के कानूनों के अनुसार लागू सेवा कर, अधिभार, उपकर इत्यादि प्रीमियम की राशि से अलग से लेगी।

मैं समझता/समझती हूं कि यह अनुबंध बीमा अधिनियम, 1938 और भारत में लागू अन्य कानूनों के अधीन है और अनुबंध तब तक शुरू नहीं होगा, जब तक कंपनी द्वारा इसकी एक लिखित स्वीकृति जारी न की जाये और पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाले लाभ अनुबंध में दी गयी शर्तों के अधीन होंगे। मैं यह भी मानता/मानती हूं कि प्रस्ताव/पॉलिसी में रखी गयी राशि पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होगा।

मैं यह भी स्पष्ट करता/करती हूं कि पॉलिसी की विशेषताएँ और नियम व शर्तें मुझे अच्छी तरह समझाई गयी हैं और इन्हें समझने के बाद ही मैंने इनके लिये स्वीकृति दी है।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि अंतिम वार्षिकी राशि वार्षिकी जारी किये जाते समय वार्षिकी को ख़रीदने के लिये इस्तेमाल की गयी वास्तविक धनराशि के अधीन होगी। मैं यह भी मानता/मानती और स्वीकार करता/करती हूं कि मेरे द्वारा मुक्त विचार अवधि (Free look period) के तहत पॉलिसी रद्द करने का फैसला किये जाने पर मुझे धनराशि लौटाई नहीं जायेगी। यह धनराशि कंपनी की ओर से मेरे द्वारा चुनी गयी और लागू कानूनों और कायदों के अनुसार प्रमाणित किसी अन्य वार्षिकी योजना को देय होगी। साथ ही, इस बदलाव की अवधि के दौरान धनराशि जमा रखने के लिये मुझे कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

मैं कंपनी को ईमेल/एसएमएस/फोन कॉल द्वारा इस प्रस्ताव या परिणामी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी और सेवा संबंधी पत्राचार भेजने का अधिकार देता/देती हूं।

मैं कंपनी को प्रस्ताव के विवरणों के सत्यापन और पॉलिसी संबंधी सेवा के लिये मेरे/हमारे विवरण बैंकों, वित्तीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को देने का अधिकार देता/देती हूं, जिनके साथ कंपनी का गठबंधन हो।

गवाह के हस्ताक्षर	प्रस्तावक के हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान	हाल की एक तसवीर हस्ताक्षर के साथ चिपकायें

गवाह का नाम और पता: ______________________

____

____

स्थान: ______________________

दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y

प्रस्ताव फॉर्म प्रस्तावक की जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरे जाने/प्रस्तावक द्वारा किसी प्रादेशिक भाषा में हस्ताक्षर किये जाने/प्रस्ताव के निरक्षर होने पर घोषणपत्र

(संपूर्ण आहरण, स्थगित एकमुश्त राशि निकालने और चरणबद्ध आहरण की स्थिति में न भरे)

मैं स्पष्ट करता/करती हूं कि मैंने इस प्रस्ताव फॉर्म और सभी अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के घटक प्रस्तावक को पढ़ कर .... भाषा में समझाये हैं और उन्होंने इसे समझने के बाद परिणामी पॉलिसी के नियमों व शर्तों का पालन करने की स्वीकृति दी है और मेरी उपस्थिति में उनके अंगूठे का निशान प्रस्ताव फॉर्म पर लगाया है।

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और पता ______________________

____

____

____

स्थान ______________________ दिनांक DD / MM / YYYY

मैं/हम स्पष्ट करते हैं कि प्रॉडक्ट (product) विवरण, इस फॉर्म के घटक और अन्य संबंधित दस्तावेज़ हमें पूरी तरह समझाये गये हैं और मैंने/हमने इन्हें पूरी तरह समझ लिया है। मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि प्रस्ताव फॉर्म में दिये गये जवाब मुझे/हमें दी गयी जानकारी के अनुसार दर्ज किये गये हैं।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/बायें अंगूठे के निशान

खंड ग – नोडल ऑफिस द्वारा घोषणापत्र और सत्यापन

DDO/PAO/POP-SP द्वारा भरा/सत्यापित किया जाना चाहिये

1. मैंने/हमने अभिदाता के मुख्य दावे को पूरा करने के लिये अभिदाता द्वारा जमा किये दस्तावेज़ों का वास्तविक दस्तावेज़ों के साथ सत्यापन किया है। प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन फॉर्म में दिये गये विवरण हमारे द्वारा रखे गये अधिकारिक रेकॉर्ड से मेल खाते हैं। घोषणापत्र और नामांकन के विवरण समेत इस फॉर्म में दी गयी पूरी जानकारी अभिदाता श्री/श्रीमती/सुश्री.. द्वारा प्रविष्टियाँ पढ़ने के बाद / प्रविष्टियाँ अभिदाता को मेरे द्वारा पढ़ कर सुनाये जाने के बाद दी गयी है और बाद में उन्होंने इसकी पुष्टि की है।
2. अभिदाता के एनपीएस अंशदान और नियोक्ता के अंशदान के संबंध में सभी अंशदान अभिदाता के पीआरएएन (PRAN)में जमा कर दिये गये हैं और कोई अन्य अंशदान नोडल अधिकारी के स्तर पर बकाया नहीं है (सिर्फ सरकारी नोडल ऑफिस के मामले में)
3. अभिदाता की पहचान ऊपर दिये गये आहरण फॉर्म के अनुसार प्रमाणित की गयी है। आहरण फॉर्म पर व्यक्त अभिदाता के नाम का सत्यापन किया गया है और उसे अंतिम प्रविष्टि के रूप में स्वीकार किया गया है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि फॉर्म पर दिये गये बैंक खाता (वेतन खाता) के विवरण हमारे कार्यालय में जमा किये गये वेतन के रेकॉर्ड के अनुसार हैं। बैंक विवरण खंड में अभिदाता द्वारा दिये गये बैंक खाता (वेतन खाता) के विवरणों की जाँच और सत्यापन की प्रक्रिया के बाद उसे भुगतान के लिये स्वीकार किया गया है। (सिर्फ सरकारी नोडल ऑफिस के लिये)।
5. हम प्रमाणित करते हैं कि अभिदाता को संबद्ध कार्यालय से निरस्तीकरण या अक्षमता के कारण सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है (सरकारी अभिदाता होने पर)। हम प्रमाणित करते हैं कि हमने सरकारी सर्जन या डॉक्टर द्वारा जारी किये गये विकलांगता प्रमाणपत्र की जाँच की है, जिसमें विकलांगता के प्रकार और दायरे का विअरण दिया गया है (ग़ैर–सरकारी अभिदाता होने पर) (सिर्फ अक्षमता के कारण आहरण की स्थिति में)

डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) का रबर स्टैम्प	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) पंजीयन क्रमांक ____________________

प्राधिकृत व्यक्ति का पद: ____________________ डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) ऑफिस का नाम: ____________________

दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) का रबर स्टैम्प	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) पंजीयन क्रमांक ____________________

प्राधिकृत व्यक्ति का पद: ____________________ डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) ऑफ़िस का नाम: ____________________

दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y

(पीएफआरडीए (निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत विनियम 3(a)/4(a)/5(a) के अनुसार)

(संपूर्ण आहरण की स्थिति में भरें)

सेवानिवृत्ति के समय संपूर्ण पेंशन की राशि निकालने का आवेदन सह वचनपत्र, और जहाँ पेंशन की राशि क्रमशः एनपीएस अभिदाता के लिये रु. 5,00,000/– या उससे कम और एनपीएस लाइट अभिदाता के लिये रु. 1,00,000/– हो

मैं, ..., पिता/पत्नी ...., उम्र लगभग .... वर्ष, निवास का पता... दृढ़ता से निम्नलिखित की पुष्टि और घोषणा करता/करती हूं:

1. कि मैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का/की अभिदाता हूं, मेरा PRAN .... है
2. एनपीएस से निकास पर मुझे प्राप्त होने वाली कुल राशि रु........ है, जो कि रु. 5,00,000/– (रु. 1,00,000/– एनपीएस लाइट के लिये) या उससे कम होने के कारण मैं समझता/समझती हूं कि मैं एनपीएस नियमों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पूरी धनराशि निकालने के लिये योग्य हूं,

   उपर्युक्त जानकारी के अनुसार, मैं मेरे कथित पूर्वोक्त (PRAN) खाते में जमा पेंशन की पूरी राशि निकालने का निर्णय लेता/लेती हूं, जो कि मेरे द्वारा प्राप्य अंतिम और संपूर्ण लाभ होगा।

   मैं यह भी समझता/समझती हूं कि ऊपर दिये गये आहरण के बाद, मुझे और मेरे परिवार को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अंतर्गत उपलब्ध लाभों समेत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अधीन कोई भी अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

   मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त फॉर्म में दी गयी सभी जानकारियाँ मेरी जानकारी में सची और सही हैं

दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y

स्थान:

***अभिदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान**

*महिला होने पर दायें और पुरुष होने पर बायें अंगूठे की छाप ली जा सकती है।

डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) का रबर स्टैम्प	डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP/NLCC) के हस्ताक्षर	दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y डीडीओ/पीओपी–एसपी/एनएलसीसी (DDO/POP-SP /NLCC) का पंजीयन क्रमांक
डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) का रबर स्टैम्प	डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP/Aggregator) ऐग्रिगेटर के हस्ताक्षर	दिनांक: D D / M M / Y Y Y Y डीटीओ/पीएओ/पीओपी/एग्रीगेटर (DTO/PAO/POP / Aggregator) का पंजीयन क्रमांक

फॉर्म भरने से संबंधित निर्देश

यह आवेदन सेवा-निवृत्ति या 60/65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने पर पेंशन की राशि निकालने के इच्छुक अभिदाता द्वारा भरा जाना चाहिये

सामान्य निर्देश:

1. एनपीएस ट्रस्ट के निर्देशानुसार, एनपीएस खाते से लाभों के आहरण की अनुमति नहीं होगी अगर एनपीएस जुलाई 1, 2014 या उसके बाद पंजीकृत अभिदाता NON FATCA complaint हैं। इसलिये अभिदाताओं से निवेदन है कि एनपीएस खाते (www.cra-nsdl. com) में लॉग-इन करके FATCA स्व-प्रमाणन (FATCA Certification) प्रदान करें। विकल्प के रूप में, अभिदाता अपने नोडल ऑफिस के पास FATCA स्व-प्रमाणन (FATCA Certification) जमा कर सकते हैं।
2. हमारे हवाला-विरोधी (रिकॉर्ड का रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के अंतर्गत किये गये संशोधनों के अनुसार, एनपीएस खाते से आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी, यदि पीएआरएन (PRAN) में आधार और पैन का समावेश न किया गया हो। अभिदाताओं से निवेदन है कि वे आहरण का आवेदन जमा करने से पहले एनपीएस खाते में आधार और पैन का समावेश करें (आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तक अनिवार्य नहीं है)

3a. अभिदाता को निकास/आहरण फॉर्म ऑनलाइन भर कर ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रति लेकर उसे नोडल ऑफिस/ पीओपी (POP) में आगे की स्वीकृति/प्रक्रिया के लिये केवाइसी दस्तावेज़ के साथ जमा करने का सुझाव दिया जाता है। नोडल ऑफिस को अनिवार्य रूप से सिर्फ ऑनलाइन पद्धति से ही फॉर्म जमा करना होगा। सीआरए (CRA) में जमा किये गये कागज़ी फॉर्म पर प्रक्रिया नहीं की जायेगी।

3b. अभिदाता (सरकारी सेक्टर और कॉर्पोरेट के अलावा) के पास आधार द्वारा स्व-अधिकृति जारी करने का अधिकार है। यह सेवा तभी उपलब्ध होगी, जब पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन एनपीएस पेंशन राशि सीमा से कम हो।

4. फॉर्म में सभी स्तंभों को काली स्याही वाली कलम से बिना किसी दोहरी लिखावट के भरा जाना चाहिये।
5. (*) द्वारा चिह्नांकित क्षेत्र अनिवार्य हैं।
6. पिन कोड समेत पत्राचार का सही पता प्रदान किया जाना चाहिये।
7. **आहरण आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:**
   - I. आहरण फॉर्म पर दिये गये पते के सहयोग में नोडल ऑफ़िस द्वारा सत्यापित पते के प्रमाण की कॉपी। आहरण फॉर्म पर दिया गया पता पते के प्रमाण पर दिये गये पते से मेल खाना चाहिये।
   - ii. नोडल ऑफिस द्वारा **सत्यापित पहचान के प्रमाण की प्रति।**
   - iii. **PRAN कार्ड की प्रति** (सरकारी सेक्टर के अभिदाता होने पर लागू नहीं)। PRAN कार्ड की कॉपी उपलब्ध न हो, तो ePRAN की प्रति या विधिवत् नोटरीकृत हलफनामा जमा करें, जिसमें PRAN कार्ड जमा न करने के कारण बनाये गये हों।
   - iv. **कैंसल्ड चेक** (जिसमें अभिदाता का नाम, बैंक खाता नंबर और आइएफएससी कोड हो) या बैंक प्रमाणपत्र/बैंक पासबुक, जिसमें सीधे पैसे जमा करने के लिये या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिये नाम, बैंक खाता नंबर और आइएफएससी कोड शामिल हो।
8. **आहरण विकल्प:**
   - I. आहरण विकल्प के रूप में सामान्य आहरण या संपूर्ण आहरण चुनें (यदि जमा एनपीएस धनराशि रु. 5 लाख या उससे कम/ रु. 1 लाख है (एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिये))।
   - ii. यदि अभिदाता सामान्य आहरण का विकल्प चुनता है, तो उसे इस फॉर्म के खंड क में एकमुश्त रूप में निकाली जाने वाली राशि और वार्षिकी ख़रीदने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली राशि का प्रतिशत आवंटन भरना होगा।
   - iii. यदि अभिदाता स्थगित आहरण का विकल्प चुनता है, तो वह एकमुश्त राशि के आहरण को 75 वर्ष की उम्र तक स्थगित कर सकता है, और वार्षिकी की ख़रीदारी को भी सेवानिवृत्ति की तिथि से 75 वर्ष की उम्र तक स्थगित किया जा सकता है। स्थगित के मामले में भी अभिदाता को इस फॉर्म के खंड क में एकमुश्त रूप में निकाली जाने वाली राशि और वार्षिकी ख़रीदने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली राशि का प्रतिशत आवंटन भरना होगा।
   - iv. अगर अभिदाता द्वारा आहरण का प्रतिशत नहीं बताया गया है, तो निर्धारित रूप से कुल जमा पेंशन की राशि का 60% हिस्सा अभिदाता को एकमुश्त रूप में दिया जायेगा, और शेष 40% राशि का उपयोग वार्षिकी ख़रीदने के लिये किया जायेगा।
   - v. सामान्य अथवा स्थगित आहरण की स्थिति में अभिदाता को अनिवार्य रूप से खंड ड - वार्षिकी के विवरण के अंतर्गत वार्षिकी के विवरण देने होंगे। वार्षिकी योजना और वार्षिकी सेवा प्रदाता चुनना अनिवार्य है।
   - vi. संपूर्ण आहरण विकल्प चुनने वाला अभिदाता (जब जमा राशि रु. 5 लाख / रु. 1 लाख (एनपीएस लाइट अभिदाताओं के लिये) से कम हो) वार्षिकी विवरण और अभिदाता के परिवार के सदस्यों के विवरण के खंडों को खाली रखेगा और फॉर्म के साथ दिया गया आवेदन सह वचनपत्र भरेगा।
   - vii. वार्षिकी ख़रीदने के बाद स्थगित की अवधि में अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में स्थगित राशि का भुगतान पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार किया जायेगा।
   - vii. वार्षिकी ख़रीदने के बाद स्थगित की अवधि में अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम 2015 के विनियम 3(a) (iii) के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार वार्षिकी पति/पत्नी द्वारा ख़रीद ली जायेगी (सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं के लिये लागू)
   - ix. स्थगितकरण की अवधि के दौरान, खाता रखरखाव शुल्क सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन फंड, ट्रस्टी बैंक और किसी भी अन्य मध्यस्थ को देय शुल्क समेत लागू रहेंगे और उन्हें खाते से युनिट्स की कटौती के रूप में लिया जायेगा।
   - x. चरणबद्ध आहरण की स्थिति में, अभिदाता को पहले वार्षिकी ख़रीदनी होगी
   - xi. वार्षिकी के विकल्पों पर अधिक जानकारी के लिये, कृपया निर्देश क्र. 12 देखें
9. एनपीएस (सभी प्रकारों के लिये) पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची:-

अनु. क्र.	पहचान का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़)	पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़)
a	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट।
b	फोटोग्राफ के साथ राशन कार्ड।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ राशन कार्ड।
c	बैंक पासबुक या फोटोग्राफ के साथ प्रमाणपत्र।	बैंक पासबुक या फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ प्रमाणपत्र।
d	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ मतदाता पहचान पत्र।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ मतदाता पहचान पत्र।
e	फोटोग्राफ के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस।	फोटोग्राफ और आवासीय पते के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
f	आय कर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड।	ज़िला मजिस्ट्रेट, विभागीय कमिश्नर, बीडीओ, तहसीलदार, मंडल राजस्व अधिकारी, न्याय दंडाधिकारी जैसे गज़ेटेड (राजपत्रित) अधिकारी के स्तर के किसी भी मान्य सार्वजनिक अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
g	सांसद या विधायक द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाणपत्र के साथ फोटोग्राफ।	सांसद या विधायक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोग्राफ के साथ पते का प्रमाणपत्र।
h	यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र।	यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/पत्र, जिसमें पता साफ़ दिखाई दे रहा हो।
i	राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा (NREGA) द्वारा जारी जॉब कार्ड।	राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा (NREGA) का जॉब कार्ड।
j	रक्षा, अर्धसैनिक और पुलिस विभाग द्वारा जारी फोटो पहचानपत्र।	अभिदाता/दावाकर्ता के नाम पर हाल का बिजली बिल, जिसमें पता दिखाई दे (6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं)
k	रक्षा मंत्रालय द्वारा उनके कर्मचारियों के लिये जारी किया गया पूर्व-सैनिक कार्ड।	अभिदाता/दावाकर्ता के नाम पर हाल का टेलिफोन का बिल, जिसमें पता दिखाई दे (6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं)
l	फोटो क्रेडिट कार्ड।	हाल की संपत्ति/मकान कर की रसीद (एक साल से ज़्यादा पुरानी नहीं)।
m	-	घर का मौजूदा वैध लीज़ अग्रीमेंट (करारनामा) या स्टैम्प पेपर (किराये/लीज़ के आवास के मामले में अगर स्टैम्प पेपर पर अग्रीमेंट किया गया हो)।
n	केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभागों, वैधानिक नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेज और ICAI, ICWAI, ICSI, बार काउंसिल जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।	निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा जारी किया गया पते के साथ पहचान पत्र/दस्तावेज़: केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक/नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों के लिये।

10. अभिदाता को बैंक के संपूर्ण विवरण देने होंगे, जैसे बैंक का नाम, शाखा, शाखा का संपूर्ण पता, खाते का प्रकार और आइएफएससी, जिसके अभाव में फॉर्म को सीआरए (CRA) द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि इस खंड में शब्दों को काटने की कोशिश न की गयी हो। एकमुश्त भुगतान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति से सीधे अभिदाता के बैंक खाते में जमा कर दिया जायेगा।
    अगर बैंक विवरण और पते के विवरण में कोई बदलाव हुआ हो, तो अभिदाताओं से निवेदन है कि ऑनलाइन आहरण आवेदन से पहले सीआरए (CRA) रेकॉर्ड्स में इस जानकारी को दर्ज करायें। ऑनलाइन आहरण आवेदन की शुरुआत के समय, बैंक विवरण और पते के विवरण में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
11. नोडल ऑफिस अभिदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लेने और नोडल ऑफिस में प्राधिकृत व्यक्ति के सत्यापन के बाद और आहरण फॉर्म तथा सहायक दस्तावेज़ों की सभी मायनों में पूर्णता की जाँच के बाद स्वीकृति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निम्नलिखित पते पर रेकॉर्ड रखने के लिये भेजेगा।

एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल (NPS Claim Processing Cell**)**
सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजेंसी,
प्रोटीयन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,
(पहले एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पहली मंज़िल, टाइम्स टावर,
कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई – 400013.

12. **वार्षिकी सेवा प्रदाता**
    एनपीएस अभिदाता को वार्षिकी की सेवाएँ प्रदान करने के लिये पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा 13 वार्षिकी सेवा प्रदाता पैनल में शामिल किये गये हैं, जिनकी सूची नीचे दी गयी है (एएसपी (ASP) के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिये गये हैं)।

एएसपी (ASP) का नाम, न्यूनतम उम्र और वार्षिकी ख़रीदने के लिये आवश्यक न्यूनतम धनराशि।

एएसपी (ASP) का नाम	न्यूनतम उम्र	न्यूनतम धनराशि
बजाज आलियांज़ लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	37	25,000
कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,25,000
एडलवाइस टोकियो	40	2,00,000
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	20	कोई भी राशि
आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	30	कोई भी राशि
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	40	10,000
कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,05,000
लाइफ इंश्योरंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	30	50,000
मैक्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	50	2,50,000
पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरंस कं. लि.	18	3,00,000
एसबीआइ लाइफ इंश्योरंस ऑफ इंडिया	18	50,000
स्टार यूनियन दाइ–ची लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	1,00,000
टाटा एआइए लाइफ इंश्योरंस कं. लि.	45	2,24,200

भारत में निम्नलिखित प्रकार अधिकांश एएसपीज़ (ASPs) के पास उपलब्ध हैं। अभिदाता को आहरण पत्र पर निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प चुनना चाहिये:

1. **आजीवन वार्षिकी –** वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु के साथ वार्षिकी बंद हो जाती है।
2. **आजीवन वार्षिकी के साथ मृत्यु के समय ख़रीद मूल्य वापस –** वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और ख़रीद मूल्य नामिति को लौटा दिया जाता है।
3. **वार्षिकी आजीवन देय और प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय –** वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी जीवन भर उनके पति/पत्नी को मिलती रहती है। अगर पति/पत्नी की मृत्यु प्राप्तकर्ता से पहले हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता की मृत्यु के साथ वार्षिकी बंद हो जायेगी।
4. **वार्षिकी आजीवन देय है और प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद 100% वार्षिकी पति/पत्नी को देय तथा खरीद मूल्य की वापसी के साथ –** वार्षिकी के प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी पति/पत्नी को जीवन भर मिलती रहती है और ख़रीद मूल्य पति/पत्नी की मृत्यु के बाद नामिति को दे दी जाती है। अगर पति/पत्नी की मृत्यु प्राप्तकर्ता से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी का भुगतान प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद बंद हो जाता है और ख़रीदने की राशि नामिति को दे दी जाती है।

ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि एनपीएस से निकासी और पैनलबद्ध एएसपी से वार्षिकी ख़रीदना दो अलग प्रक्रियाएँ हैं। अभिदाता के लिये वार्षिकी योजना पीएफआरडीए (PFRDA) के साथ पैनलबद्ध एएसपी से ख़रीदना अनिवार्य है। एएसपी (ASP) को फॉर्म प्राप्त होने के बाद और फॉर्म की पूर्णता तथा केवाइसी आवश्यकताओं को लेकर उनकी पूरी संतुष्टि के बाद, वार्षिकी अभिदाता को जारी कर दी जायेगी।

किसी एएसपी (ASP) के साथ विशिष्ट वार्षिकी योजना की उपलब्धता और वार्षिकी के प्रस्तावों को लेकर अधिक जानकारी नीचे दी गयी लिंक के अनुसार सीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
www.npscra.nsdl.co.in/annuity-service-providers.php

एएसपी (ASP) योजना के विवरण वार्षिकी चयन तालिका में बदलाव संभव है। वार्षिकी के विवरण भरने से पहले कृपया सीआरए (CRA)की वेबसाइट पर जायें। एएसपी (ASP) के पैनलबद्ध होने की सूची समय–समय पर नये एएसपी (ASP) पैनल में शामिल किये जाने के साथ बदलती रहती है।

13. निश्चित वार्षिकी योजना (सिर्फ सरकारी सेक्टर के अभिदाता के लिये)

एनपीएस से निकास के बाद अभिदाता को कम से कम 40% जमा पेंशन की राशि की वार्षिकी ख़रीदनी पड़ेगी, जो अभिदाता और उसके पति/पत्नी (यदि कोई हो) को अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर वार्षिकी के ख़रीद मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ आजीवन वार्षिकी प्रदान करेगा, वार्षिकी अनुबंधन के अंतर्गत लौटाये जाने वाले ख़रीद मूल्य का इस्तेमाल करके वार्षिकी को ख़रीदने के समय लागू प्रीमियम की दर पर नीचे व्यक्त क्रम में परिवार के सदस्यों को वार्षिकी दुबारा जारी की जायेगी (जब तक कि नीचे दिये गये क्रम में सभी परिवार के सदस्य संरक्षित न हो जायें):

(अ) मृत अभिदाता की जीवित आश्रित माता
(ब) मृत अभिदाता के जीवित आश्रित पिता

ऊपर दिये गये परिवार के सभी सदस्यों के संरक्षित हो जाने के बाद, ख़रीद मूल्य अभिदाता के जीवित बच्चों को लौटा दिया जायेगा, और बच्चे न होने पर, अभिदाता के विधिक वारिस योग्य हो सकते हैं।

लेकिन यदि कोई अभिदाता ऊपर दिये गये निश्चित विकल्प नहीं चुनना चाहता, और वार्षिक सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध प्रकारों या अनुबंधों में से अपनी पसंद का वार्षिकी विकल्प चुनना चाहता है, तो वह ऊपर दिये गये निर्देश क्र. 12 के अंतर्गत व्यक्त कोई विकल्प चुन सकता है।